रजिस्टर्ड नं0 ल0-33/एस0 एम0 14/92.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 20 अक्तूबर, 1992/28 आश्विन, 1914

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 अक्तूबर, 1992

संख्या एल0 एल0 आर0-डी0 (6) 25/92-लैजिस्लेशन.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 17 अक्तूबर, 1992 को प्रख्यापित हिमाचल प्रदेश मोटर परिवहन यान (पथकर) अध्यादेश, 1992 (1992 का अध्यादेश

संख्याक 6) को संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उसके प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ सहित, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

1992 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 6.

हिमाचल प्रदेश मोटर परिवहन यान (पथकर) अध्यादेश, 1992

हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमाओं में प्रवेश करने वाले कतिपय मोटर यानों पर पथकर उदगृहीत करने और उससे आनुषंगिक और सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिए **अध्यादेश** ।

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है ;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम और विस्तार ।

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटर परिवहन यान (पथकर) अध्यादेश, 1992 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है ।

परिभाषाएं

2. (1) इस अध्यादेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "बैरियर" से धारा 4 के अधीन स्थापित बैरियर अभिप्रेत है;

(ख) "मोटर परिवहन यान" से माल गाड़ी या संविदा गाड़ी अथवा मंजिली गाड़ी या मोटर यान अधिनियम, 1988 में यथा परिभाषित कोई अन्य सार्वजनिक सेवा यान अभिप्रेत है; (1988 का 59)

(ग) "आपरेटर" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका नाम मोटर परिवहन यान के बारे में उसके धारक के रूप में अनुज्ञापत्र में दर्ज है और तत्समय वाहन का प्रभारी कोई व्यक्ति भी इसके अन्तर्गत है;

(घ) "विहित" से इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ङ) "पथकर" से धारा 3 के अधीन उद्गृहीत पथकर अभिप्रेत है ; और

(च) "पथकर अधिकारी" से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसा अधिकारी या अधिकारीगण अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य या उसके किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए पथकर अधिकारी के रूप में नियुक्त करे ।

2. उन शब्दों और पदों के, जो प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु मोटर यान अधिनियम, 1988 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में है। (1988 का 59)

पथकर का उद्ग्रहण।

3. (1) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य से बाहर की अधिकारिता रखने वाले किसी प्राधिकारी द्वारा दिए गए अनुज्ञापत्र के अधीन चलने वाले और हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमाओं में प्रवेश करने वाले प्रत्येक मोटर परिवहन यान पर तीन सौ रुपए से अनधिक ऐसी दर पर, जैसी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रति यान पथकर उद्गृहीत किया जाएगा और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा : (1988 का 59)

परन्तु जहां किसी यान की प्रविष्टि के बारे में एक बार पथकर संदत्त कर दिया गया हो, वहां उसी दिन किसी पश्चात्वर्ती प्रदेश के लिए कोई पथकर उदगृहीत नहीं किया जाएगा।

2. पथकर मोटर परिवहन यान के आपरेटर द्वारा संदत्त किया जाएगा।

बैरियरों की स्थापना।

4. पथकर संग्रहण के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य की सीमा के ऐसे स्थानों पर, जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, बैरियर स्थापित करेगी।

पथकर संदत्त किए बिना प्रवेश का प्रतिषेध।

5. धारा 3 के अधीन पथकर संदत्त करने को दायी कोई मोटर परिवहन यान तब तक राज्य में प्रविष्ट या चलाया नहीं जाएगा जब तक कि पथकर संदत्त नहीं कर दिया गया हो और पथकर अधिकारी को इन उपबन्धों के उल्लंघन में ऐसे यान के प्रवेश और चलाने को निवारित करने की शक्ति होगी।

रोकने और अभिग्रहण करने की शक्ति।

6. (1) पथकर अधिकारी या उस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, तो मोटर परिवहन यान का चालक यान को राज्य के भीतर चाहे बैरियर या किसी अन्य स्थान पर रोकेगा और, यथास्थिति, पथकर अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति को अपना समाधान करने के लिए समर्थ बनाने कि पथकर, यदि संदेय हो, संदत्त कर दिया गया है और इस अध्यादेश के अन्य उपबन्धों का अनुपालन किया जा चुका है, युक्तियुक्त समय के लिए इसे खड़ा रखेगा।

(2) जब पथकर अधिकारी या धारा (1) के अधीन उस द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो, यान के चालक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्,—

(क) कि पथकर सदत्त नहीं किया गया है, तो वह यान या उसके किसी भाग अथवा उपसाधन को, जो उसकी राय में पथकर की वसूली के लिए पर्याप्त हो, तब तक निरुद्ध रखेगा, जब तक पथकर संदत्त नहीं किया जाता है ; या

(ख) कि इस अध्यादेश के उपबन्धों का कोई भंग किया गया है, तो यान या उसके किसी भाग अथवा उपसाधन को, जो उसकी राय में धारा 7 के अधीन उद्ग्राह्या शास्ति की अधिकतम रकम की वसूली के लिए पर्याप्त हो, निरुद्ध रखेगा जब तक ऐसी रकम के समतुल्य नकद प्रतिभूति नहीं दी जाती है।

(3) इस प्रकार निरुद्ध चीज या इस प्रकार निक्षिप्त प्रतिभूति का ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, निपटारा किया जाएगा।

शास्ति और अपील।

7. (1) यदि, पथकर अधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह आवश्यक समझे, समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने इस अध्यादेश या तदधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों का भंग किया है, तो वह आदेश कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति पथकर के अतिरिक्त, यदि कोई हो, शास्ति के रूप में, उसद्वारा संदेय, पांच सौ रुपये से अनधिक राशि संदत्त करेगा :

परन्तु ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया हो ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन व्यथित कोई व्यक्ति, उसको ऐसे आदेश की संसूचना से तीस दिन के भीतर, ऐसे अपील प्राधिकारी को वैसा विहित किया जाए, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा और ऐसे अपील प्राधिकारी का आदेश अन्तिम होगा ।

पथकर आदि के उद्ग्रहण, संदाय और संग्रहण की रीति ।

8. (1) पथकर ऐसी रीति में, उद्गृहीत, संदत्त और संगृहित किया जाएगा, जैसी विहित की जाए।

(2) उप-धारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अध्यादेश के अधीन वसूलीय कोई पथकर, शास्ति या अन्य देय, यदि इसके देय होने से पन्द्रह दिन के भीतर संदत्त नहीं किए जाते हैं, तो भूमि राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किए जा सकेंगे ।

एकमुश्त राशि करार ।

9. इस अध्यादेश में अन्यत्र किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार या इस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, पथकर की रकम के बदले में जो कि संदेय हो, ऐसी कालावधि के लिए, जैसी राज्य सरकार के साथ आपरेटर द्वारा, करार की जाए, एकमुश्त राशि स्वीकार करने को सहमत हो सकेगा :

परन्तु पथकर की दर में कोई परिवर्तन जो ऐसे करार की तारीख के पश्चात् प्रवृत हो, करार की कालावधि के उस समय के भाग के बारे में जिसके दौरान ऐसा परिवर्तन/दर प्रवृत रहती है, करार की गई एकमुश्त राशि में आनुपातिक परिवर्तन का प्रभाव रखगा ।

पथकर से छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति ।

10. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, और ऐसी अवधि के लिए, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी मोटर परिवहन यान या मोटर परिवहन यानों के किसी वर्ग को पथकर के उद्ग्रहण और संदाय से या तो पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकेगी ।

व्यतिकारी करार ।

11. इस अध्यादेश में अन्यत्र किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य राज्य सरकार या संघ सरकार के साथ पथकर के उद्ग्रहण, संग्रहण और संदाय से सम्बन्धित कोई व्यतिकारी करार किया जाता है, वहां पथकर का उद्ग्रहण, संग्रहण और संदाय ऐसे करार के निबन्धन और शर्तों के अनुसार होगा :

परन्तु इस प्रकार उद्गृहीत पथकर उस पथकर से अधिक नहीं होगा जो इस अध्यादेश के अन्य उपबन्धों के अधीन अन्यथा उद्गृहीत किया गया होता ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

12. इस अध्यादेश या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित या तात्पर्यित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

13. राज्य सरकार, इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

वीरेन्द्र वर्मा,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश ।

शिमला :
तारीख 17 अक्तूबर, 1992.

अमरेन्द्र लाल वैद्य,
सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT)

H. P. Ordinance No. 6 of 1992.

THE HIMACHAL PRADESH MOTOR TRANSPORT VEHICLES (TOLL) ORDINANCE, 1992

AN

ORDINANCE

to provide for the levy of toll (path-kar) on certain motor vehicles entering the limits of the State of Himachal Pradesh and for the matters incidental thereto and connected therewith.

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Fourty-third Year of the Republic of India,

Whereas the Legislative Assembly of the State of Himachal Pradesh is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title & extent.

1. (1) This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Motor Transport Vehicles (Toll) Ordinance, 1992.

(2) It shall extend to the whole of the State of Himachal Pradesh.

Definition.

2. (1) In this Ordinance, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "barrier" means a barrier established under section-4;

(*b*) "motor transport vehicles" means a goods vehicle or a contract carriage vehicle or a stage carriage or any other public service vehicle as defined in the Motor Vehicles Act, 1988;

59 of 1988

(*c*) "operator" means any person whose name is entered in the permit in respect of the motor transport vehicle as the holder thereof and includes any person for the time being incharge of the vehicle;

(*d*) "prescribed" means prescribed by rules made under this Ordinance;

(*e*) "toll" means the toll (path-kar) levied under section 3; and

(*f*) "Toll Tax Officer" means such Officer or Officers as the State Government may, by notification, appoint to be the Toll Tax Officer for the whole of the State of Himachal Pradesh or for any area or areas thereof for the purposes of this Ordinance.

(2) Words and expressions used and not defined in this Ordinance but defined in the Motor Vehicles Act, 1988, shall have the meanings respectively assigned to them in that Acts. 59 of 1988.

Levy of toll.

3. (1) There shall be levied and paid to the State Government a toll on every motor transport vehicle plying under a permit granted under the Motor Vehicles Act, 1988, by an authority having jurisdiction outside the State of Himachal Pradesh entering the limits of the State of Himachal Pradesh, at such rate not exceeding three hundred rupees per vehicle, as the State Government may by notification, specify: 59 of 1988.

Provided that where the toll has been paid once in respect of the entry of the vehicle ho toll shall be levied for any subsequent entry of the same day.

(2) The toll shall be paid by the operator of the motor transport vehicle.

Establishment of barriers.

4. For the purposes of collection of the toll, the State Government shall, by notification, establish barriers at such places on the State boundary as may be specified in the notification.

Prohibition of entry without paying toll.

5. No motor transport vehicle liable to pay toll under section 3, shall be entered or plied in the State unless the toll has been paid and the Toll Tax Officer shall have the power to prevant the entry or plying of such vehicle in contravention of these provisions.

Power to stop and seize.

6. (1) When so required by the Toll Tax Officer or any other person authorised by him in this behalf, the driver of a motor transport vehicle shall stop the vehicles whether at the barrier or at any other place within the State and keep it stationary for a reasonable period in order to enable the Toll Tax Officer or the person authorised, as the case may be, to satisfy himself that the toll, if payable, has been paid and the other provisions of this Ordinance have been complied with.

(2) When the Toll Tax Officer or the person authorised by him under sub-section (1) has reason to believe, after giving the driver of the vehicle a reasonable opportunity of being heard,—

(*a*) that the toll has not been paid, he may detain the vehicle or any part or accessory thereof sufficient in his opinion for realisation of the toll, until the toll is paid ; or

(*b*) that any breach of the provisions of this Ordinance has been committed, detain the vehicle or any part of accessory thereof sufficient in his opinion for realisation of the maximum amount of penalty leviable under section 7, until cash security equivalent to such amount is furnished.

(3) The things so detained or the security so deposited shall be dealt-with in such manner as may be prescribed.

Penalty & appeal.

7(1) If the Toll Tax Officer is satisfied after making such inquiry, as he may deem necessary, that any person has committed a breach of any of the provisions of this Ordinance, or the rules made thereunder, he may order that such person shall pay by way of penalty in addition to the toll, if any, payable by him, a sum, not exceeding five hundred rupees:

Provided that no such order shall be made unless such person has been given a reasonable opportunity of being heard.

(2) Any person aggrieved by an order under sub-section (1), may, within thirty days from the communication of such order to him, prefer an appeal against such order to such appellate authority as may be prescribed and the order of such appellate authority shall be final.

Manner of levy, payment & collection of toll etc.

8. (1) The toll shall be levied, paid and collected in such manner as may be prescribed.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1) any toll, penalty or other dues recoverable under this Ordinance, if not paid within fifteen days of its becoming due, may be realised as arrears of land revenue.

Lump-sum agreement..

9. Notwithstanding anything contained elsewhere in this Ordinance, the State Government or any officer authorised by it in this behalf, may agree to accept a lump-sum in lieu of the amount of toll that may be payable, for such period, as may be agreed upon, by the operator to the State Government :

Provided that any change in the rate of toll which may come into force after the date of such agreement shall have the effect of making a proportionate change in the lump-sum agreed upon in relation to the part of the period of agreement during which such changed rate remains in force.

Power of State Govt. to exempt from toll.

10. The State Government may, by notification, subject to such conditions, if any, and for such period, as may be specified in the notification, exempt any motor transport vehicle or any class of motor transport vehicles from the levy and payment of toll either wholly or partially.

Reciprocal greement.

11. Notwithstanding anything contained elsewhere in this Ordinance, where any, reciprocal agreement relating to levy, collection and payment of the toll is entered in to by the State Government with any other State Government, or Union Government, the levy, collection and payment of the toll shall be in accordance with the terms and conditions of such agreement:

Provided that the toll so levied shall not exceed the toll which would have otherwise been levied under other previsions of this Ordinance.

Protection of action taken in good faith.

12. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is done in good faith or purported or intended to be done in pursuance of the provisions of this Ordinance or the rules made thereunder.

Power to make rules.

13. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Ordinance.

VIRENDRA VERMA,
Governor,
Himachal Pradesh.

Shimla:
Dated 17th October, 1992.

A. L. VAIDYA,
Secretary (Law) to the
Government of Himachal Pradesh.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।